

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 32/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2018

सा.का.नि.... (अ) :- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, मास, जुलाई 2018 से मार्च, 2019 तक ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन तक के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरे की समय-सीमा का विस्तार किया जाता है।

2. मास जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को तैयार करने के लिए समय-सीमा को राजपत्र में तद्वत् अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार